(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110 002

No.F3(44)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV//27

Dated: 21/10/40

Notification No. 50/2019- State Tax

No. F.3 (44)/Fin (Rev-I)/2020-201/DS-IV/ - In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of the National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-1), No. 21/2019- State Tax, dated the 17th October, 2019, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3 (73)/Fin (Rev-I)/2019-20/DS-VI/490, dated the 17th October, 2019, namely:—

In the said notification, in paragraph 2, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

"Provided further that the due date for furnishing the statement containing the details of payment of self-assessed tax in said **FORM GST CMP-08**, for the quarter July, 2019 to September, 2019, or part thereof, shall be the 22ndday of October, 2019.".

This notification shall come into force with effect from the 18th day of October, 2019.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Manoj Kumar) Dy. Secretary IV (Finance)

Dated: 21/10/20

No.F3(44)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/ / 47

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.

- 2. The Principal Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
- 3. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 4. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
- 5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi

- 6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- 8. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
- 9. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.

10. Website.

11. Guard File.

(Manoj Kumar) Dy. Secretary IV (Finance)

Note:- The principal notification No No. 21/2019- State Tax, dated the 17th October, 2019, was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3 (73)/Fin (Rev-I)/2019-20/DS-VI/490, dated the 17th October, 2019 and was last amended by notification No. 35/2019- State Tax, dated the 5th June, 2020, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3 (7)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-VI/169, dated the 5th June, 2020.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार वित्त (राजस्व—I) विभाग दिल्ली सचिवालय, आई. पी. इस्टेटः नई दिल्ली—110 002.

सं.फा. 3(44) / वित्त (राजस्व- I) / 2020-21 / डीएस- IV / /३ 7

दिनांकः 21/10/20

अधिसूचना संख्या- 50/2019-राज्य कर

सं.फा. 3(44)/ वित्त(राजस्व-I) / 2020-21/ डीएस-IV - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना सं. 21/2019- राज्य कर, तारीख 17 अक्टूबर, 2019, जो दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में सं. फा. 3(73)/ वित्त (राजस्व-I) / 2019-20/ डीएस-VI/490, तारीख 17 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के, द्वितीय पैरा में, प्रथम परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु जुलाई, 2019 से सितंबर, 2019 तक की तिमाही या उसके भाग के लिए उक्त प्ररूप जीएसटी सीएमपी—08 में स्वनिर्धारित कर के संदाय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए विवरण देने की देय तारीख 22 अक्टूबर, 2019 होगी।"।

2. यह अधिसूचना तारीख 18 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आवदन से तथा उनके नाम पर

(मनोज कुमार)

उप सचिव- IV (वित्त)

सं.फा. 3(44) / वित्त (राजस्व— I) / 2020—21 / डीएस— IV //२ ७

दिनांकः 21/10/20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

- 1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- 2. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग चार असाधारण में प्रकाशनार्थ।

3. सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

4. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।

5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

8. नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।

9. मुख्य सचिव के विषेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।

, 10 वेब साईट। 11. गार्ड फाइल।

> (मनोज कुमार) उप सचिव– IV(वित्त)

टिप्पण:— मूल अधिसूचना सं. 21/2019—राज्य कर, तारीख 17 अक्टूबर, 2019 दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग— VI, में सं0 फा0 03(73)/ वित्त (राज0-I)/2019—20/ डीएस— VI/490, तारीख 17 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 35/2019— राज्य कर तारीख 05 जून, 2020, जो दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग— IV, में सं0 फा0 03 (7)/ वित्त (\overline{v}) डीएस— VI/169, तारीख 05 जून, 2020 ,द्वारा प्रकाशित की गई थी, द्वारा इसमें अंतिम बार संशोधन किया गया था I